

मौलाना मदन मोहन मालवीय - 53/2017-18

05.22

प्रशासनिक प्रकृति के कारण वाद पर अग्रिम कारवाई नहीं की जा सकी है।

अभिलेख दिनांक 02.08.22 को रखा।

नीरपत्र पदाधिकारी
- एड -
ओ. ओ.
कमलेश (विपक्ष)

08.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का नामित प्रतिवेदन प्राप्त है। वादी अनुपस्थित है। पुनः नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 21.10.22 को रखा।

नीरपत्र पदाधिकारी
- एड -
ओ. ओ.
कमलेश (विपक्ष)

1.10.22

प्रशासनिक प्रकृति के कारण वाद पर अग्रिम कारवाई नहीं की जा सकी है।

अभिलेख दिनांक 06.01.23 को रखा।

नीरपत्र पदाधिकारी
- एड -
ओ. ओ.
कमलेश (विपक्ष)

06.01.23

अभिलेख उपस्थापित।

वादी एवं बैंक अधिकारी उपस्थापित हैं। उक्त पक्षों ने उपस्थित होकर बताया है कि प्रत्येक वर्ष की सामान्य राशि वधूल कर ली गई है।

अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

नीरपत्र पदाधिकारी
- एड -
ओ. ओ.
कमलेश (विपक्ष)